


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: संशोधित कार्यालय आदेश ::


इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/भौगकृ/भौतिक/प्रो.ट्रे./अवकाश/संशोधन/2019-20/30 दिनांक 16.03.2020 द्वारा श्रीमती वाणी दुबे, व्याख्याता (भौतिक विज्ञान), राजकीय उच्च माध्यमिक लोरड़ी देजगरा (जोधपुर) का 90 दिवस के "अवैतनिक अवकाश" स्वीकृत किया गया था। उक्त आदेश में "अवैतनिक अवकाश" के स्थान पर "असाधारण अवकाश" आंशिक संशोधित पढ़ा जावें।

शेष नियम व शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/प्रो.ट्रे./अवकाश/संशोधन/2020/39 दिनांक: 19/08/2020
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल-शिक्षा) संभाग मुख्यालय।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक)
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. कम्प्यूटर एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड बाबत।
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर